

नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAIPUR GREATER/FIRENOC/2021-22/7943
जारी दिनांक: 16-MAY-2022

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ATUL KULSHRESHTHA
आवेदक का पता: JAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले

आपके भवन JVP INTERNATIONAL SCHOOL, 52 127, SECTOR 17 PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR GREATER, JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि लिये से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति रद्द: निरत मानी जायेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाजा आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेंगा व कायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इसके में यह उभिंशंपा पत्र निरत माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा कायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील रियल में रखने को वाध्य होंगे।
- कायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे कायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम री करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- कायर याहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवश्य रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
- रोप लेडर व दो रसा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक रवां उतरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफर्टेंप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वह पर रुफर्टेंप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर ग्रेटर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar
Designation : DC|EO|Commissioner
Date: 2022.05.16 17:41:13 IST
Reason: Approved



Seal/Stamp (10782)
JVP INTERNATIONAL SCHOOL
JAIPUR - 302021
RAJASTHAN